न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 144 / 2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 351**

दायर दिनांक :– 22.08.2022 **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

01. परमाराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

01. नैना पत्नी अम्बाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी
02. हंसाराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी
03. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
04. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम सांगूरी पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 75 रकबा 2.8733 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.8337 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 0.8984 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली में अधिवक्ता उभ्य पक्ष की बहस सुनकर ग्राम सांगूरी पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 75 रकबा 2.8733 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.8337 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 0.8984 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा रांजस्व ग्राम सांगूरी पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 75 रकबा 2.8733 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.8337 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 0.8984 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	नैना पत्नी अम्बाराम 140/569 हिस्सा, हंसाराम पि. गुमानाराम 190/330 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आर. एम.जी.बी शाखा शेखासर नैना का हिस्सा	सांगूरी	75	1.5783 हैक्टेयर	बी–1
			76	0.1943 हैक्टेयर	बी–1
			77	0.8984 हैक्टेयर	बी–1
2	परमाराम पि. गुमानाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	सांगूरी	75	1.2950 हैक्टेयर	बी–1
			76	0.6394 हैक्टेयर	बी–1

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. परमाराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01 नैना पत्नी अम्बाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी

02. हंसाराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी

03. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

04. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 144/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर देवीसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम सांगूरी पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 75 रकबा 2.8733 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.8337 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 0.8984 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	नैना पत्नी अम्बाराम 140/569 हिस्सा, हंसाराम पि. गुमानाराम 190/330 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आर.एम.जी.बी शाखा शेखासर नैना का हिस्सा	सांगूरी	75	1.5783 हैक्टेयर	बी—1
			76	0.1943 हैक्टेयर	बी—1
			77	0.8984 हैक्टेयर	बी—1
2	परमाराम पि. गुमानाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	सांगूरी	75	1.2950 हैक्टेयर	बी—1
			76	0.6394 हैक्टेयर	बी—1

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।।नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :— इस खर्चें के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।